

दिनांक-14.10.2022

पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थनापत्र 58 ग प्रतिवादी अवधेश कुमार द्वारा दिनांक-19.09.2022 को इस आशय का पेश किया गया था कि उक्त वाद वादी द्वारा वास्ते घोषणा दायर किया गया है वादी प्रतिवादी सं०-1 का लैण्डलॉर्ड व स्वामी है प्रतिवादी सं०-1 प्रश्नगत सम्पत्ति में 1297 वर्गफुट कवर्ड ऐरिया का किरायेदार है प्रतिवादी सं०-1 द्वारा किराया खफीफा वाद सं०-02/2012 ब्रजेन्द्र खण्डेलवाल बनाम ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स जो कि पत्रावली उक्त लीडिंग केस के साथ चल रही है में अदा किया जा रहा है ओरियन्टल बैंक ऑ कामर्स पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो गयी है पंजाब नेशनल बैंक प्रश्नगत जायदाद केसामने स्थित है प्रश्नगत जायदाद को प्रतिवादी सं०-1 दिनांक-10.10.2022 को खाली रिक्त कर प्रश्नगत जायदाद की चाबी न्यायालय को सुपुर्द करना चाहता है, जिससे कि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो अथवा न्यायालय के आदेश पर वादी को सुपुर्द करने को तैयार है।

इस पर वादी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र पर लिखित आपत्ति दर्ज करनी है। प्रार्थनापत्र 59 ग पर वादी द्वारा एक माह उपरान्त पेश किया गया है जिसपर आपत्ति आहूत की गयी है। प्रतिवादी सं०-1 ने आपत्ति हेतु समय योजित किया है।

दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित है एवं ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स द्वारा यह कथन किया गया है कि वह अपने बैंक का स्ट्रोग रूम का स्ट्रेग गेट ले जाना चाहते है विवादित सम्पत्ति से हटाना चाहते है। इस पर वादी के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है। यह कहा गया है। स्ट्रोग गेट मकान के उपर बना विल्डिंग क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना है। इस पर बैंक मैनेजर द्वारा कथन किया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई क्षति उपर की विल्डिंग में नहीं होगी अगर होती है तो जितनी भी क्षति होगी उसकी जिम्मेदारी उनकी है। अतः बैंक को आदेशित किया जाता है कि वह अपना सारा सामान दो दिन के अंदर निकालकर स्ट्रोग गेट को निकालकर रिक्त सम्पत्ति की चाबी न्यायालय में दिनांक-18.10.2022 को जमा करें।

वादी मुकदमा स्ट्रोग गेट निकालने में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा। तदुसार प्रार्थनापत्र 58 ग निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली वास्ते आपत्ति आमंत्रित /प्रार्थनापत्र 59 ग निस्तारण हेतु दिनांक-18.10.2022 को पेश हो।

अपर जिला न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या- 6, मथुरा